

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

असीन अधिकारी - कृष्णपाल सिंह चौहान, आर.ए.एस.

दस्ता संख्या - 136/19 प्र-पत्र संशोधित

श्री काना ज० श्री बालु भुलार निवासी- जोरावरपुरा तहसील- गाण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1. श्री सोहन ज० श्री बालु भुलार निवासी- जोरावरपुरा (जि.प्राय) त० गाण्डल
2. श्री नन्दा ज० पटना गीत निवासी- काकीरवेडा तहसील- गाण्डल
3. श्री सोहन ज० भाण्डारा वैष्णव _____
4. श्री सोहन ज० बालु भुलार _____
5. श्री हरिकृष्ण ज० वन्ना भुर्जर _____
6. श्री भाराण ज० वन्ना भुर्जर _____
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गाण्डल तहसील- गाण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 14-6-19

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जोरावरपुरा पटवार हलका जि.प्राय तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 406, 407, 408, 409 कुल किता 04 रकबा 1.82 हेक्टर बिस्या स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14-6-19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम जोरावरपुरा पटवार हलका जि.प्राय तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 406, 407, 408, 409 कुल किता 04 रकबा 1.82 हेक्टर बिस्या भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक जमवानपुरा को 300/- रूपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

प्रतिलिपि - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा